

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी० ए० संख्या-56/2020

पप्पू विश्वकर्मा

.... याचिकाकर्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य

.... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्ता के लिए: श्री रवि कुमार, अधिवक्ता।

राज्य के लिए: ए०पी०पी०।

2/14.01.2020 पक्षों को सुना।

याचिकाकर्ता, देवरी थाना काण्ड संख्या 38 वर्ष 2019 के संबंध में एक आरापी है।

यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता ने सूचक के पिता पर बेसिल से हमला किया था और अन्य आरोपी व्यक्तियों ने भी हमला किया था। इसके बाद, सूचक के पिता की मृत्यु हो गई। मौत का कारण सिर में चोट लगने का बताया गया है।

याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रत्यक्ष प्रकृति के संदर्भ में, मैं याचिकाकर्ता को जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। इसलिए जमानत के लिए उसकी प्रार्थना तदनुसार खारिज कर दी जाती है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया०)